# १
# कार्यशाला गोष्ठी परिचय

पिछले तीन सालों से 'अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, इसीमोड, ने अपने सहभागी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम के माध्यम से प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन संबंधि मुद्दों पर विचार करने के लिए नयी-नयी संस्थाओं को उभरने में सहयोग किया है । इस कार्यक्रम की प्रक्रिया पद्धति ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्वायत्त संस्थाओं एवं 'नेटवर्क' को पनपने में काफी योगदान किया है ।

संस्थागत विकास में इन प्रयासों ने 'नेपाल सहभागी कार्यान्वयन नेटवर्क नाम के राष्ट्रीय नेटवर्क संस्था', 'सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नेपाल', 'नेपाल मध्यस्थता समूह' एवं 'नवरचना, हिमाचल प्रदेश', भारत में एक गैर-सरकारी तथा समुदाय आधारित नेटवर्क, आदि के माध्यम से सहभागी विकास के कलात्मक पक्षों को संवोधित करने की जरूरतों पर जोर दिया है । साथ ही भूटान, भारत, और नेपाल के वरिष्ठ वन पेशावरों द्वारा आरंभ किया हुआ दो क्षेत्रीय नेटवर्क पूर्णता की प्रक्रिया में है, ये नेटवर्क हैं, हिन्दू कुश-हिमाली वन संरक्षण एवं व्यवस्थापन मंच (हिफ्कोम) और 'महिला वन उपभोक्ता समूह का प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नेटवर्क जो 'हिमवन्ती' के नाम से पंजीकृत है । इस महिला आधृत नेटवर्क में नेपाल, भारत, और पाकिस्तान की महिलाएं संलग्न हैं ।

आज इनमें से कुछ संस्थाएं स्वाधीन हैं । ये संस्थाएं सदस्यता सहयोग एवं कुछ हद तक आर्थिक सहयोग अन्य संस्थाओं से प्राप्त करती हैं जबकि दूसरी अन्य संस्थाएं बौद्धिक एवं आर्थिक सहयोग इसीमोड से प्राप्त करती हैं । इन संस्थाओं का मुख्य मुद्दा है ऐसी नीतियों को लागू करना जो सामुदायिक वानिकी में सटीक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित

करे । इन संस्थाओं ने जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक विस्तृत मंच प्रदान करने में अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित किया है । साथ ही विकास की प्रक्रियाओं में जन समुदाय के सक्रिय सलग्नता से संबंधित मुद्दों को भी प्रोत्साहित किया है ।

इन संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है वानिकी में में उन सुचारू व्यवस्थापन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना जो स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श के पश्चात तैयार किया गया हो । साथ ही सही सूचना, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता, और जिम्मेवारी, इन संस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं ।

इन तीन सालों में एक प्रमुख बात उभर कर सामने आयी है वह यह है कि वन स्रोतों का स्थायी व्यवस्थापन, शासन, विकेन्द्रीकरण और प्रजातांत्रिकरण से संबंधित मुद्दों के अभाव में नहीं हो सकता है । जब समुदाय आधारित प्राकृतिक स्रोत पर जोर बढ्ता जा रहा है और अनौपचारिक श्रोत स्तरीय संस्थाओं ने उन प्राकृतिक स्रोतों के व्यवस्थापन में अपने सामर्थ्य को दिखाया है वहीं आज गाँव एवं जिला स्तरीय संस्थाओं की संलग्नता भी वृद्धोन्मुख है ।

यह प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण, शक्ति निक्षेप एवं निर्वाचित संस्थाओं के जिम्मेवारियों से संबंधित नये कानून, नियम एवं उपनियमों के साथ उभर कर सामने आयी है ।

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में वर्तमान उपर्युक्त प्रक्रिया ने सहभागी विकास में विकेन्द्रीकरण को एक पूर्व आधार के रूप में बढावा दिया है । सहभागी विकास की अवधारणा स्वावलंबी और स्वयंसिद्ध विकास प्रक्रिया के सिद्धान्त पर आधारित है जो लोगों को निर्वाचित, औपचारिक, और अनौपचारिक जन संस्थाओं के माध्यम से अपनी जरूरतों को प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्रदान करता है ।

विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया और जन संस्थाओं का उदय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के लिए उचित प्रबंध है । ये प्रक्रियाएं पर्वतीय विशेषताओं के संदर्भ में विशेष रूप को अख्तियार करती हैं । स्थायी पर्वतीय विकास के लिए विकेन्द्रीकरण, शक्ति निक्षेप, विभिन्न भूमिकाएं एवं जिम्मेवारियों को प्रभावी योजनाओं के रूपमें पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है । ये प्रक्रियाएं पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषमताओं के प्रति सचेतता को बढावा देने में मदद करती हैं । साथ ही ये प्रक्रियाएं निर्णय निर्माण, योजना, आर्थिक कार्यक्रम एवं विकास योजनाओं के रेखांकन में स्थानीय समुदायों की भूमिका को बढाने में भी मदद करती हैं ।

पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं को आर्थिक विकास के दौरान नयी-नयी चुनौतियों एवं अवसरों का सामना करना पड्ता है साथ ही इन्हें इन क्षेत्रों में (पर्वतीय

क्षेत्रों में) प्राकृतिक स्रोतों के समग्रता को वरकरार रखने के संदर्भ में भी उचित व्यवस्थापन की ओर ध्यान रखना पडता है । यह स्पष्ट है कि इन संस्थाओं की नयी भूमिकाओं को अनुभव, ज्ञान, और स्थानीय संस्थाओं के संलग्नता से सहयोग प्राप्त हो सकता है ।

## कार्यशाला उद्देश्य

कार्यशाला के उद्देश्य को निम्न प्रकार से नियोजित किया गया था ।

- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं, सामुदायिक वन संस्थाओं एवं नेटवर्क के प्रतिनिधियों को मंच प्रदान करना ताकि वे प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन (सामुदायिक वानिकी आधारित) में अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से पहचान सकें ।
- विकेन्द्रीकरण कानून, वन कानून और अभ्यासों से संबंधि नीतियों, नियम और उपनियमों को और आधिक विस्तार से समझने में सहयोग प्रदान करना ।
- विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया और सामुदायिक वन व्यवस्थापन से उनके संबंध को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में सहयोग प्रदान करना ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और औपचारिक या अनौपचारिक समुदाय आधारित संस्थाओं के बीच पारस्परिकता के सामर्थ्य को पहचानना ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं के बीच वर्तमान और संभाव्य विरोधों को हटाने वाले दृष्टिकोण और कार्यपद्धति को पहचानना ।
- सामुदायिक वन स्रोतों के व्यवस्थापन के लिए समता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के सिद्धान्तों पर आधारित उन सर्वोत्तम अभ्यासों की जानकारी प्राप्त करना जो स्थायी कार्यप्रणाली (शासन) को बढावा देते हों ।

## कार्यशाला के सहभागी

कार्यशाला के सहभागी बांगलादेश, भारत, नेपाल, और पाकिस्तान से आए थे । कार्यशाला के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनका चयन निम्नलिखित मापदण्ड पर आधारित था ।

- प्रत्येक देश के स्वशासित गाँव और जिला अथवा समकक्षी प्रशासनिक इकाई के निर्वाचित प्रतिनिधि ।
- जिला अथवा राष्ट्रीय सामुदीयक वन नेटवर्क के कार्यालय पदाधिकारी या सहभागी देश के उपयुक्त संस्थाएं जो उपर्युक्त मापदण्ड के अनुकूल हों ।

उन्नासी सहभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया जिनमें चौवन पुरूष और पचीस महिलाएं थीं । महिला सहभागिता को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया साथ ही एक महिला को आमंत्रित करने के स्थान पर दो महिलाओं को एक साथ आने और कार्यशाला में भाग लेने के लिए उचित व्यवस्था भी की गई थी । इतना ही नहीं बच्चों की देख भाल की व्यवस्था भी की गई थी ताकि महिलाएं कार्यशाला में सहभागिता से वंचित न रह जाएं ।

कार्यशाला गोष्ठी के उद्घाटन के दौरान 'मिट्टी मिलन' समारोह में बांगलादेश के डा. एम.एम. खान बांगलादेश से लाई हुई मिट्टी को घडे की मिट्टी में डालते हुए ।

सहभागियों द्वारा भिन्न-भिन्न देशों से लाई हुई मिट्टी से भरे घडे को श्री एगबर्ट पेलिङ्क (इसीमोड महानिर्देशक) को समर्पित किया जाना ।